बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

विषयः– राज्य के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (बी0 एड0 कोर्स) में नामांकन हेतु संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008, संशोधित संकल्प संख्या–20/प्र0 07–44/2012 –408 दिनांक 04.10.12, तथा संशोधित संकल्प संख्या–20/वि01–14/12 – 407 दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की निर्धारित अर्हता को प्राप्त करने हेतु राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त/नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) का आयोजन किया गया, जिसमें अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) के माध्यम से राज्य के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का भी नियोजन किया गया है। बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण बहुत सारे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनका नियोजन नहीं हो सका है। राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की आवश्यकता बरकरार है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण तथा विद्यालयों में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों तथा बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण अनियोजित अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण एवं विद्यालयों में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों तथा बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण एवं अनियोजित तथा अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को राज्य के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (बी0एड0 कोर्स) के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (बी0 एड0 कोर्स) में नामांकन हेतु पूर्व में संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008, संशोधित संकल्प संख्या– 20/प्र0 07–44/2012 –408 दिनांक 04.10.12, तथा संशोधित संकल्प संख्या–20/वि01–14/12 – 407 दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. संशोधित संकल्प संख्या–20/वि01–14/12 – 407 दिनांक 24.07.2013 की कंडिका 1 (i) को विलोपित किया जाता है।

3. संशोधित संकल्प संख्या– 20/वि01–14/12 – 407 दिनांक 24.07.2013 की कंडिका 1(iii) को विलोपित किया जाता है।

4. संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008 की कंडिका 1 (vii) तथा संशोधित संकल्प संख्या– 20/प्र0 07–44/2012 –408 दिनांक 04.10.12 की कंडिका 1 (v) को विलोपित किया जाता है।

5. संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008 की कंडिका 1 (iv) के बाद एक अलग कंडिका 1 (iv) 'क' निम्नवत् जोड़ा जाता है–

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा स्वीकृत कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन, बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) परीक्षा उत्तीर्ण एवं शिक्षक के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन

हेतु आवेदन बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) परीक्षा उत्तीर्ण, अनियोजित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से आमंत्रित किया जाएगा"।

6. संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008 की कंडिका 3, संशोधित संकल्प संख्या–20/प्र0 07–44/2012 –408 दिनांक 04.10.12 की कंडिका 2 एवं संशोधित संकल्प संख्या –20/वि01–14/12 – 407 दिनांक 24.07.2013 की कंडिका 2 को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है –

"चयन का आधार– ऊपर की कंडिका 5 में वर्णित दोनों श्रेणियों के सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु चयन का आधार अपनी श्रेणी के बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा। नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में कोटिवार किया जाएगा। समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने की स्थिति में अधिक उम्रवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी"।

7. संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008 में नयी कंडिका 3 (क) निम्नवत् जोड़ा जाता है –

" दोनों श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों में से किसी भी श्रेणी में सीट रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त रह गये सीटों के विरूद्ध दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा सकेगा"।

8. संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008 की कंडिका 4 "नामांकन हेतु उम्र सीमा" को निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है–

" नामांकन हेतु उम्र सीमा–उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी।"

9. इस परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या–11/व 2–01/2002 –1068 दिनांक –04. 07. 2008, संशोधित संकल्प संख्या– 20/प्र0 07–44/2012 –408 दिनांक 04.10.12, तथा संशोधित संकल्प संख्या– 20/वि01–14/12–407 दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की संगत कंडिकाओं को संशोधित समझा जाए। शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।

21/4/14

(सत्यनारायण)
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक – 20/प्र0 07–44/2012......68 दिनांक–......21/04/2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध करायी जाए।

21/4/14
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 20/प्र0 07–44/2012......68 दिनांक–......21/04/2014

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान/निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/रजिस्ट्रार, बी0आर0 अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, एल0एन0मिश्रा विश्वविद्यालय, दरभंगा तथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/14
संयुक्त सचिव।